	...र्यवाही मय इनिशियल्स जज
31-7-19	पत्रावली पेश हो। वकील उभयपक्ष उप. PO 86 अवकाशवश ही बहस अतः पत्रावली 8-8-19 को पेश हो
8-8-19	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ताओं द्वारा कन्ट्रोलिंग किया बहस अतः पत्रावली 11-9-19 को पेश हो।
11-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित. आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है. विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया. पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी
गोरधनलाल मीना (RAS)

प्रार्थना पत्र 9/2019

दायरा दिनांक :– 07.03.2019

बउनवान

1. केसर बाई बेवा रामकुमार जाति मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
2. बृजमोहन पुत्र रामकुमार जाति मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
3. विनोद कुमार पुत्र रामकुमार जाति मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0) मृतक कायम मुकामान
   3/1 श्रीमति सुशीला बेवा विनोद कुमार जाति मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी
   3/2 पवन कुमार पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी
   3/3 धीरज कुमार पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी
   3/4 सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी
   3/5 गोरव कुमार पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार मीणा अवयस्क जर्ये माता सुशीला निवासी स्टेशन लाखेरी
   3/6 यश कुमार पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार मीणा अवयस्क जर्ये माता सुशीला निवासी स्टेशन लाखेरी
4. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति मीणा निवासी स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. ए.सी.सी. सीमेन्ट फेक्ट्री मुख्य कार्यालय महर्षि करवे रोड मुम्बई शाखा ए.सी.सी सीमेन्ट फेक्ट्री लाखेरी जर्ये प्लांट हेड ए.सी.सी सीमेन्ट फेक्ट्री लाखेरी जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.एक्ट. व O 39 R 1 व 2 व धारा 151 जा.दी.

निर्णय

दिनांक :– 11.09.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट व O-39 R 1 व 2 व धारा 151 जा.दी. में प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा संख्या 3696 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 3697 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 3701 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 3702 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा संख्या 3703 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 3704 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा संख्या 3705 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 3706 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा संख्या 3707 रकबा 0.3900

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

हैक्टर, खसरा संख्या 3708 रकबा 0.8700 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 4.0400 हैक्टर कस्बा लाखेरी पटवार क्षैत्र लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 में यह आराजी अप्रार्थी ए.सी. सी. सीमेन्ट फेक्ट्री के नाम खातेदारी मे दर्ज है, किन्तु गत 45 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी पर गत 45 वर्षो से अधिक समय से ए.सी.सी. सीमेन्ट फेक्ट्री अप्रार्थी का कब्जा नही रहा है। उक्त आराजी पर गत 45 वर्ष से भी अधिक समय से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रही है। मुखालफाना के आधार पर प्रार्थीगण की हेसियत खातेदार आसामी की हो चुकी है। जिस बाबत एक वाद विरूद्व ए.सी. सी किया हुआ है। अप्रार्थी ताकत के बल पर प्रार्थीगण का बेदखल करना चाहता है। प्रार्थीगण को अधिकार है कि न्यायालय से सहायता प्राप्त कर प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल नही करने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये। और अन्त में प्रार्थन की कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से अप्रार्थी का नाम खातेदारी से विलोपित करावे। एवं अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रतिवाद में स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार किया है। जो दिनांक 01.04.2010 को खारिज फरमा दिया गया था। शेष तथ्य अस्वीकार कर परिस्थितियों में कोई बदलाव नही हुआ है। ए.सी.सी लाखेरी का 100 वर्षो से बहेसियत खातेदार निरन्तर काबिज चली आ रही है। वाद विषयक खसरा संख्या 3697 रकबा 1.12 हैक्टर मे से 0.55 हैक्टर भूमि खसरा संख्या 3704 रकबा 0.54 हैक्टर मे से 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 3708 रकबा 0.87 हैक्टर मे से 0.02 हैक्टर भूमि मेगा स्टेट हाईवे मे अधिग्रहण हुई थी। जिसका मुआवजा बतौर खातेदार ए.सी.सी. कम्पनी को ही प्राप्त हुआ था। चारों तरफ अतिक्रमण रोकने के लिये बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किया था। चुकिं विवादित भूमि कम्पनी के खाते व कब्जे की होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण पिछले 45 वर्षो से कब्जा काश्त चले आ रहे है जो कब्जा मुखालफाना के आधार पर प्रार्थीगण हेसियत खातेदार आसामी हो चुकी है। अप्रार्थी ताकत के बल पर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है और निवेदन किया कि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है कब्जा कम्पनी का ही चला आ रहा है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पूर्व में प्रार्थना पत्र संख्या 31/2009 दिनांक 01.04.2010 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत की जो माननीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज की जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र पर धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होते है प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी वाद ग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। एवं वाद ग्रस्त आराजी पर कब्जा भी अप्रार्थी का साबित होता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकारान के स्वत्व निर्धारण मूल दावे के निस्तारण के समय होगे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे हमे अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर केवल इतना देखना है कि अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वाद ग्रस्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। और वह उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। और अस्थाई निषेधाज्ञा की आढ में उसे कब्जे से बेदखल किया गया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी की होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner